न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी:– पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 54/2023

प्रार्थी:–

01 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. दलाराम पुत्र जयराम जाति जाट
2. ओमाराम पुत्र जयराम जाति जाट
3. करनाराम पुत्र जयराम जाति जाट
4. कैलाश पुत्र जयराम जाति जाट
5. श्रीमती भूरी पत्नी जयराम जाति जाट
   सभी निवासीगण ग्राम रामनगर,सिन्धियों की ढाणी, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
6. श्रीमती पप्पुदेवी पुत्री जयराम पत्नी भल्लाराम जाति जाट
   निवासी बासनी वेन्दा,
   तहसील व जिला जोधपुर
7. श्रीमती चुकी देवी पुत्री जयराम पत्नी मादाराम जाति जाट
   निवासी ग्राम नेतडा, तहसील बावडी,
   जिला जोधपुर
8. ग्राम पंचायत सिन्धियों की ढाणी जरिये सरपंच
9. उम्मेदाराम पुत्र श्री जोराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
10. ओमाराम पुत्र श्री भैराराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अप्रार्थीगण. ...

उपस्थित–

01.श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता–प्रार्थी

02.श्री एस.एन.राजपुरोहित, श्री मोहनराम सागर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 07

03.श्री दूदाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 08 से 10

निर्णय

दिनांक : 9/4/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी शिविर रामपुरा के समक्ष अप्रार्थीगण के पिता/पति जयराम एवं दादा लावूराम सहित आठ ,खातेदारान् ने ग्राम रामपुरा भाटियान में स्थित खसरा नंवर 546, 548, 519, 521, 487, 519/2 एवं 572 की भूमि में से सार्वजनिक रास्ते के तौर पर राजकीय भूमि घोषित करने हेतु दिनांक 03 फरवरी 1983 को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पणनामे निष्पादित किये। पक्षकारान् द्वारा वक्त समर्पण से लेकर सन् 2015 तक समर्पित भूमि पर निर्वाध रूप से आवागमन किया गया जा रहा था।तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 03 फरवरी 1983 के खिलाफ माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 2018/091 जयराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

रामपुरा भाटियान इत्यादि पेश की गई जो दिनांक 11 अप्रेल 2016 को मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गयी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय मण्डल के निर्देशो की पालना में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 17 मई 2017 के जरिये अपील अन्दर मियादशुमार कर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार कर मामला अदालत हाजा को दिशा निर्देशों सहित प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके खिलाफ उभय पक्ष की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानियाँ प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/टीए/4819/2017/जोधपुर अनवान जयराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत आदि एवं निगरानी/टीए/5700/2017/जोधपुर अनवान राजस्थान सरकार बनाम जयराम इत्यादि निगरानीधीन आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2018 के जरिये खारिज कर दी गई और माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 यथावत रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित उक्त निगरानीधीन आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2018 के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से रिट याचिका पेश की गयी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 15177/2018 अनवान स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जयराम व अन्य दिनांक 14 फरवरी 2020 को खारिज की जाकर अदालत हाजा को चार माह में प्रकरण निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय, अपीलीय न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसरण में अदालत हाजा द्वारा मामला पुनः संस्थित किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 03 जनवरी 2023 को मामले का पुनः निस्तारण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी दलाराम वगैरह द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 2023/90 अनवान दलाराम बनाम राज्य सरकार इत्यादि प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05 जुलाई 2023 के जरिये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2023 को निरस्त किया जाकर अदालत हाजा को निर्देश जारी किये गये कि पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत न्यायोचित कार्यवाही करते हुए तथा पत्रावली पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभिन्न प्रार्थनापत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए मूल प्रकरण का न्यायसंगत निस्तारण किया जावे। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्देशों की पालना में प्रकरण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

दिनांक 02 अगस्त 2023 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागण को सूचित किया गया। दिनांक 07 अगस्त 2023 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनराम सागर उपस्थित हुए तथा दिनांक 18.10.2023 को अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने जयराम के वारिसान/अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्देशों के क्रम में दिनांक 16.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी ओमाराम एवं उम्मेदाराम को मामले मे बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 03 अप्रैल 2024 को अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी निर्णित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15 अप्रैल 2024 से दिनांक दिसंबर 2024 तक पत्रावली अप्रार्थी अधिवक्ता की गवाहन से जिरह हेतु लंबित रही, किंतु वकील अप्रार्थीगण को गवाहान से जिरह के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जिरह नहीं करने पर दिनांक 24 दिसंबर 2024 को जिरह बंद की जाकर पत्रावली को अप्रार्थीगण की साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया। अप्रार्थीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लगातार अवसर दिये जाने के पर भी उनकी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 20.01.2025 को अप्रार्थीगण की साक्ष्य बंद की जाकर मामले को बहस हेतु मुकर्रर किया गया एवं उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि लाबुराम, जयराम सहित ग्राम रामपुरा भाटियान् के आठ खातेदारान् द्वारा शिविर प्रभारी के समक्ष समर्पणनामे निष्पादित किये थे, जिनकी पालना में राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरान् की भूमियॉं में सें समर्पित भूमियॉं राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते के रूप में दर्ज की गई तथा वक्त समर्पण से उक्त खसरान् की भूमियों में रास्ता चलायमान है, जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्टो से होती है। उपलब्ध अभिलेख से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से इन समर्पणनामों की पुष्टि होती है। अप्रार्थीगण/जयराम के वारिसान् द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करवाये जाने के बाद उक्त समर्पणनामों के कूटरचित होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य अथवा लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है तथा न ही उपस्थित गवाहान से जिरह की है। अप्रार्थीगण द्वारा मामले को लंबा करने के उद्धेश्य से पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय के कीमती समय खराब कर रहे है तथा येन–केन–प्रकारेण प्रकरण को लंबा खींच रहे है। अंत में राजकीय पैरोकार ने निवेदन किया कि समर्पणनामा दिनांक 03.02.1983 को बहाल किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

प्रकरण मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 द्वारा जवाब पेश किया गया अप्रार्थी गण संख्या 1 से 7 को बहस वास्ते न्यायहीत मे अनेक अन्तिम से अन्तिम अवसर दिया जाने के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की बहस बन्द की गई

प्रत्युतर में अप्रार्थी संख्या आठ से दस के अधिवक्ता ने ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/पति जयराम द्वारा पूर्व में धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर समर्पणनामा विड्रो करने का निवेदन किया है, जिससे साबित है कि स्वयं जयराम द्वारा ही समर्पणनामा निष्पादित किया एवं उसके द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिये समर्पणनामा निष्पादित किया जाना अप्रत्यक्षरूपेण स्वीकार किया गया है। जहॉ तक समर्पणनामा पर अंगुष्ठनिशान होने तथा जयराम द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजात– जयराम द्वारा 24 फरवरी 1992 को श्रीमती छोटीदेवी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचान दस्तावेज पर जयराम के अंगुष्ठ निशान, उक्त भूमि श्रीमती छोटी देवी से पुनः खरीद संबंधित दस्तावेजात पर केता की हैसियत से जयराम के हस्ताक्षर आदि से यह तथ्य साबित है कि पूर्व में जयराम अंगुष्ठ निशान करता था, कालान्तर में हस्ताक्षर करने लगा। रामनगर के निवासियों द्वारा 04 जून 2014 को तहसीलदार तिंवरी के समक्ष ग्राम रामनगर में कटाणी रास्ता सही जगह तरमीम करने बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, उस पर अन्य ग्रामवासियों के साथ–साथ जयराम के भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार दिनांक 30 जून 2014 को नेनुराम की प्याउ रामपुरा से उजलिया जाने वाला रास्ता खुलवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी जयराम व उसके पुत्र दलाराम द्वारा हस्ताक्षर किये हुए है। साथ ही आदेश कमांक 1445 दिनांक 03 फरवरी 1983 का हवाला दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के जरिये ही लाबुराम व जयराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 519 व 519/2 में से भूमि समर्पित मानते हुए रास्ता घोषित की गयी थी। जयराम द्वारा भूमि रास्ते के लिए समर्पण किये जाने के साथ अन्य लोगों ने भी उक्त रास्ता के लिए अपनी खातेदारी भूमि समर्पित की, उसमें से जीवित गोविन्दराम, भंवरलाल द्वारा अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर शपथ–पत्र पेश किये। इस संबंध में अन्य खातेदारान् भंवरलाल, बाबुराम पुत्र रावतराम, गोविंदराम पुत्र बीजाराम मेघवाल, उम्मेदाराम, उदाराम पुत्र जोराराम, सोनाराम पुत्र भैराराम, भीयाराम पुत्र जेठाराम आदि, जिनके द्वारा अपनी भूमि समर्पित की गयी, उन्होंने भी अपने शपथपत्र पेश कर जयराम द्वारा समर्पणनामा निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है। शपथकर्ता प्रेमसिंह पुत्र दलाराम जो स्वयं ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान के तीन बार वर्ष 1988 से 1991, 2005 से 2010 एवं 2010 से 2015 तक सरंपच रहे है, उनके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

द्वारा शपथ–पत्र में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा नैनुरामजी की प्याउ से बंन्दिया नाडा तक रास्ता सन् 1987 चालू है तथा उनके कार्यकाल में अकाल राहत के तहत संपूर्ण रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनवायी गई थी। शपथकर्त्ता माननीय न्यायालय के समक्ष अपने बयान कलमबद्ध करवाने हेतु कई बार उपस्थित हुए, किंतु अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह नहीं की गई है। अप्रार्थीगण/जयराम के वारिसान् द्वारा उच्चतर न्यायालयों से मामला प्रतिप्रेषित करवाकर माननीय न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराचोही नहीं की जा रही है तथा इनका प्रकरण के प्रति उदासीन रवैया रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा भंवरलाल एवं बाबुराम के पिता के नाम के संबंध में जांच किये जाने का विवेचन किया है। भंवरलाल एवं बाबुराम के पिता का नाम रावतराम है जो जमाबंदी संवतः 2029 से 2032 तक शुद्ध था। आगामी जमाबंदी संवतः 2033–2035 में उनके पिता का नाम लिपिकीय त्रुटि से रावतराम के स्थान पर रामुराम अंकित कर दिया गया जो बाद में जरिये शुद्धि जमाबंदी संवतः 2046 से 2049 से दुरूस्त कर दिया गया। अंत में विद्वान अधिवक्ता ने समर्पणनामा दिनांक 03 फरवरी 1983 को वैध होना ठहराते हुए उसे बहाल किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रदत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गयेः–

01. आराजी खसरा संख्या 519 व 519/2 के संबंध में प्रस्तुत समर्पणनामों के संबंध में पूर्णत जांच की जावे, आवश्यकता हो तो एफ.एल.सी. जांच करवायी जावे।
02. दोनों पक्षों की ओर से गवाहान की साक्ष्य आदि का परीक्षण किया जावे।
03. संबंधित अधिनियम के प्रावधानों, नियम व प्रचलित परिपत्रों आदि की पालना सुनिश्चित की जावे।
04. जिस रास्ते हेतु भूमि का तथाकथित समर्पणनामा निष्पादित होना दर्शाया जा रहा है, वर्तमान में उस रास्ते की आवश्यकता एवं औचित्य बाबत विश्लेषण किया जावे।
05. सभी विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रदत निर्देशों का बिंदुवार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

विवेचन निम्न प्रकार है:–

01. आराजी खसरा संख्या 519 व 519/2 के संबंध में प्रस्तुत समर्पणनामों के संबंध में पूर्णत जांच की जावे, आवश्यकता हो तो एफ.एल.सी. जांच करवायी जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध समर्पण नामों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी जयराम एवं उसके पिता लाबुराम सहित अन्य आठ व्यक्तियों द्वारा अपने–अपने खसरान् के संबंध में अलग–अलग समर्पणनामे निष्पादित किये है, जिसकी ताईद तत्कालीन सरपंच द्वारा किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उक्त खातेदारान् के द्वारा भूमि समर्पित किये जाने से पूर्व से ही मौके पर रास्ता चलायमान है तथा उक्त रास्ते का उपयोग ग्रामवासियों एवं अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत रानपुरा भाटियान् के प्रस्ताव एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र अनुसार उक्त समर्पित भूमि पर वर्ष 2000 में ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध भीयाराम पुत्र जेठाराम, सोनाराम पुत्र भैराराम, उम्मेदाराम पुत्र जोराराम, नंवरलाल पुत्र रावतराम, गोविंदराम पुत्र बीजाराम, उदाराम पुत्र जोराराम एवं बाबूराम पुत्र रावतराम इत्यादि द्वारा निष्पादित शपथ–पत्रों में शपथकर्ताओ ने अपने अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते हेतु भूमि समर्पित किये जाने एवं अप्रार्थी जयराम पुत्र लाबूराम खसरा नं. 519/2 में से 15 बिस्वा एवं लाबुराम पुत्र मूलाराम द्वारा खसरा नंबर 519 मे से 10 बिस्वा समर्पित किये जाने के कथन किये गये है। अदालत हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त गवाहन से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जिरह नहीं की गई, जिस कारण उक्त शपथ–पत्रों में वर्णित कथन अखण्डनीय होने से कानूनन हू–ब–हू पढे जाने योग्य प्रतीत होते है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्वयं जयराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समर्पणनामा को विड्रो किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिससे उक्त समर्पण नामा स्वयं जयराम द्वारा निष्पादित किये जाने के अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथन को बल मिलता है तथा समर्पणनामा वैध होने की पुष्टि होती है।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा आवश्यकता होने पर एफ.एस. एल. जांच किये जाने के निर्देश दिये गये, किंतु अप्रार्थी जयराम का देहांत हो जाने के कारण एफ.एस.एल. जांच किया जाना संभव नहीं है। इस कारण अदालत हाजा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत एफ.एस.एल. करवाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

उक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से अदालत हाजा को समर्पण नामा दिनांक 03 फरवरी की वैधता में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

02. दोनों पक्षों की ओर से गवाहान की साक्ष्य आदि का परीक्षण किया जावे।

माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश की पालना में दिनांक 15 अप्रैल 2024 से निरंतर गवाह गोविन्दराम, सोनाराम, उम्मेदाराम एवं भींयाराम निरंतर उपस्थित हुए, किंतु अप्रार्थीगण द्वारा द्वारा जिरह नही की गई। जिस कारण दिनांक 24 दिसबंर 2024 को जिरह के अवसर बंद किये गये। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहन के कथन अखण्डनीय होने से स्वीकार योग्य प्रतीत होते है। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुति के यथोचित अवसर प्रदान किये जाकर माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश की पूर्ण पालना की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05 जुलाई 2023 में विवेचित किया गया है कि शपथकर्ता कमशः भंवरलाल व बाबूराम के पिता का नाम रावतराम लिखा हुआ है, जबकि प्रभारी अधिकारी कैम्प रामपुरा के आदेश कमांक 1446 दिनांक 03 फरवरी 1983 में तथा समर्पणनामों में इनके पिता का नाम रामुराम अंकित है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी संवतः 2029–2032, खतौनी संवतः 2033–2036 एवं खतौनी संवतः 2046–2049 ग्राम रामपुरा भाटियान् के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में शपथकर्ता भंवरलाल एवं बाबूराम के पिता के नाम में राजस्व रेकर्ड में सही था जो संवतः 2033–2036 की जमाबंदी में गलत अंकित हो गया, जिसे खातेदारान् द्वारा जरिये शुद्धि पत्र दुरूस्त करवाये जाने पर खतौनी संवतः 2046–2049 में उनके पिता का नाम रामुराम अंकित होना पाया जाता है।

03. संबंधित अधिनियम के प्रावधानों, नियम व प्रचलित परिपत्रों आदि की पालना सुनिश्चित की जावे।

माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 से 59 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समर्पणनामा दिनांक 03 फरवरी 1983 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी जयराम, लाबूराम एवं अन्य आसामियों द्वारा समर्पण किये जाने के पश्चात भूमिधारी द्वारा वर्ष

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

1983 में शिविर प्रभारी के आदेश क्रमांक 1445–1446 दिनांक 03.02.1983 की पालना में समर्पित भूमि क्षेत्र का कब्जा लेकर मौके पर रास्ता निर्माण करवाया जाना पाया जाता है जिसकी पुष्टि उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। राज्य पक्ष का कथन है कि आसामी द्वारा भूमि समर्पित किये जाने के बाद उक्त भूमि पुनः आसामी की खातेदारी में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण की ओर से भी ऐसा कोई भी प्रावधान अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके जरिये समर्पित भूमि खातेदार के खाते में पुनः दर्ज की जा सके। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों, नियम, प्रचलित परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में समर्पणनामा दिनांक 03 फरवरी 1983 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

04. जिस रास्ते हेतु भूमि का तथाकथित समर्पणनामा निष्पादित होना दर्शाया जा रहा है, वर्तमान में उस रास्ते की आवश्यकता एवं औचित्य बाबत विश्लेषण किया जावे।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार तिंवरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त समर्पित रास्ता वर्तमान में मौके पर चल रहा है जो सार्वजनिक रास्ता है। श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक सहायता/अराका/2056/2000/9492 दिनांक 09.06.2000 के जरिये नैनूरान की प्याऊ से निमला नाडा होते हुए उजलिया रोड़ तक उक्त समर्पित रास्ता सहित उक्त रास्ते पर राजकीय कोष से ग्रेवल सड़क निर्माण करवाया जाना साबित होता है। अद्यतन राजस्व अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समर्पित रास्ते की राजस्व रेकर्ड में तरमीम अंकित है। यदि उक्त रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो आमजन एवं राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा एवं आवागमन अवरूद्ध हो जायेगा। पत्रावली पर उपलब्ध ज्ञापन/मौका रिपोर्टों से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध किये जाने पर ग्रामवासियों द्वारा रास्ता पुनः खुलवाने हेतु तहसीलदार तिंवरी एवं जिला कलक्टर एवं राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में समर्पित रास्ते की वर्तमान में आत्यंतिक आवश्यकता है।

05. सभी विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
[illegible]

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्देशों के क्रम में दिनांक 16.01.2024 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी ओमाराम एवं उम्मेदाराम को मामले मे बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर मामले में एफ.एस.एल. जांच का अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी जयराम का देहांत हो जाने से उक्त प्रार्थना पत्र औचित्य विहिन हो जाने से दिनांक 03 अप्रैल 2024 को अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया गया। इस प्रकार माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में समस्त प्रार्थना पत्र विधिनुसार निस्तारित किये गये।

उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में खसरा नं. 519/2 एवं खसरा नं. 519 के संबंध में निष्पादित समर्पणनामा दिनांक 03 फरवरी 1983 जयराम पुत्र लाबूराम एवं लाबूराम पुत्र मूलाराम स्वयं द्वारा निष्पादित किया गया पाया जाता है एवं वक्त समर्पण से ही मौके पर रास्ता चलायमान है, जिस पर निरंतर आवागमन हो रहा है। अप्रार्थीगण/स्व. जयराम के वारिसान् को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से प्रकरण में गवाह्न से जिरह नहीं की गई तथा न ही अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये गय है। प्रकरण के प्रति अप्रार्थीगण का उदासीन रवैया रहा है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में **पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत सभी प्रार्थना पत्रों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए** अप्रार्थीगण/जयराम के वारिसान् को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के अवलोकन किये जाने पर समर्पणनामा दिनांक 03 फरवरी 1983 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने से समर्पणनामा दिनांक 03 फरवरी 1983 बहाल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/4/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी